भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

मतदाता मार्गदर्शिका
(वोटर गाइड)

दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए
चुनावों को सुगम्य बनाना

प्रस्तावना

भारत निर्वाचन आयोग, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदाता मार्गदर्शिका (वोटर गाइड) प्रस्तुत करते हुए गर्व का अनुभव कर रहा है। यह मार्गदर्शिका दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं चाहे वे मतदान केंद्र जाकर या अपने घर की निजता से मतदान करने का विकल्प चुनें, को उपलब्ध अधिकारों और सुविधाओं को सुस्पष्ट करने के लिए हमारी सभी नवीनतम पहल को संकलित करके अत्यन्त सावधानीपूर्वक तैयार की गई है। इस मार्गदर्शिका द्वारा निर्वाचकों को जानकारी और संसाधन से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है जिससे चुनाव प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सजग, सुविधाजनक और सम्मानपूर्ण हो।

भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक मतदाता की, निर्वाचक नामावली से लेकर मतदान करने तक की यात्रा उतनी ही सहज हो, जितनी कि यह महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर, लोकतंत्र के इस त्यौहार को उत्साह, समावेशिता और प्रत्येक वोट की ताकत में अटूट विश्वास के साथ मनाएं।

कोई मतदाता न छूटे

संवैधानिक और विधिक प्रावधान

क. संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद ३२४
संविधान, निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निदेशन और संचालन तथा निर्वाचक नामावली के अनुरक्षण की शक्तियां प्रदान करता है

अनुच्छेद ३२५
कोई भी व्यक्ति, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर विशेष रूप से निर्वाचक नामावली में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्ये नहीं होगा।

अनुच्छेद ३२६
लोकसभा और राज्य विधान सभा चुनावों का आयोजन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा।

ख. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१

धारा 169 (1) केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करता है।

धारा 169 (2) (ग) निरक्षर मतदाताओं या शारीरिक और अन्य निःशक्तता वाले मतदाताओं के मामले में वोट देने के तरीके को निर्धारित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करती है।

ग. निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१

नियम 25 और 27छ किसी निरक्षर या शिथिलांग मतदाता से अनुरोध प्राप्तस होने पर उसे मतदान करने में सहायता करने की अनुमति देता है

नियम 40, 49ध और 49त(4) दृष्टिहीन मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में किसी वयस्कन साथी की सहायता लेने की अनुमति देता है।

घ. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६

मतदान में सुगम्यता के संबंध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 11 यह अधिदेश देती है कि भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मतदान केंद्र दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य हों और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके द्वारा आसानी से समझे जाने योग्य व उनके लिए सुगम्य है।

नामांकन प्रक्रिया

वोट करने के लिए, निर्वाचक नामांकन फार्म भरकर नामांकन करवाना जरूरी है। यदि व्यक्ति पहले से ही नामांकित है, तो उसे समय रहते यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में सही रूप से प्रदर्शित हो रहा हो। कोई भी व्यक्ति यह फार्म आनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड तरीके से भर सकता है और उसी प्रकार उसकी वस्तुस्थिति की जांच भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति संगत फार्म भरकर स्वयं को दिव्यांग निर्वाचक के रूप में चिह्नित कर सकता है, इस तरह वह मतदान दिवस पर कतिपय सुविधाओं के लिए हकदार बन सकता है।

१. सामान्य निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए मानदण्ड, व्यक्ति निश्चित तौर पर-

२. निर्वाचक के रूप में नामाकंन करवाने के लिए ४ अर्हक तिथियां

अब, कोई भी व्यक्ति वर्ष में चार उपलब्ध् कट–ऑफ तिथियों पर नए मतदाता के रूप में नामांकन करवा सकता है, अर्थात–

३. अपने फार्म का प्रकार चुने:

फार्म ६: नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए

फार्म ६क: किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम शामिल किए जाने के लिए

फार्म ७: मौजूदा निर्वाचक नामावली में नाम के प्रस्तावित समावेशन/विलोपन पर आपत्ति दर्ज करने के लिए

फार्म ८: निवास स्थान में परिवर्तन/मौजूदा निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार करने/एपिक बदलने/दिव्यांगजन के रूप में चिह्नांकित करने के लिए

फार्म ६ख: आधार–एपिक संयोजन/गैर–आधार आईडी के साथ निर्वाचक नामावली के प्रमाणीकरण के लिए (स्वैच्छिक आधार पर)।

४. ये फार्म निम्न माध्यामों से भरे जा सकते हैं

ऑनलाइन विधि	ऑफलाइन विधि	हाइब्रिड विधि
voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पेलाइन ऐप या सक्षम–ईसीआई ऐप पर विजिट करें और फार्म भरकर सबमिट करें। रेफरेंस आईडी का उपयोग करके आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें।	फार्म निर्वाचक रजिस्ट्रीरकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्री करण अधिकारियों के कार्यालयों में और बूथ लेवल अधिकारियों के पास निःशुल्क उपलब्ध हैं। दिव्यांग निर्वाचकों को इन कार्यालयों में फार्म प्राप्त करने और प्रस्तुत करने में वरीयता दी जाएगी। आवेदन स्वयं जाकर भरा जा सकता है या डाक द्वारा ईआरओ के पते पर भेजा जा सकता है या बूथ लेवल अधिकारी को सौंपा जा सकता है।	पूर्वोक्त फार्म वोटर सर्विस पोर्टल से भी पीडीएफ फार्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। उनके प्रिंट आउट को भरकर ईआरओ/एईआ. रओ को प्रस्तुरत किया जा सकता है या बूथ लेवल अधिकारी को सौंपा जा सकता है।

५. अपने आपको दिव्यांगजन मतदाता के रूप में कैसे चिह्नित करें?

नए निर्वाचक

फार्म 6 की पंक्ति 9 को भरें (ऑनलाइन या ऑफलाइन विधि)

(9) दिव्यांगता की श्रेणी, यदि कोई हो (वैकल्पिक) ☐ गतिक ☐ दृष्टिगत ☐ मूक एवं बधिर
यदि कोई अन्य हो (वर्णन कीजिए) .....

दिव्यांगता का प्रतिशत .....% ☐ प्रमाणपत्र संलग्न. (समुचित बॉक्स पर निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं

मौजूदा निर्वाचक –

फार्म ८ की पंक्ति ४ भरें (ऑनलाइन या ऑफलाइन विधि)

4 दिव्यांगजन के रूप में चिह्नित करने के लिए आवेदन
दिव्यांगता की श्रेणी (दिव्यांगता की श्रेणी के लिए उचित बॉक्स पर टिक करें)

☐ गतिक ☐ दृष्टिगत ☐ मूक–बधिर ☐ यदि कोई अन्य हो (वर्णन करें) .....

दिव्यांगता का प्रतिशत % ☐ प्रमाणपत्र संलग्न. (समुचित बॉक्स पर निशान लगाएं) . ☐ हां ☐ नहीं

मतदान दिवस से पूर्व जानने योग्य बातें

अपने बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को जानें

बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक मतदान केंद्र से संगत निर्वाचक नामावली के भाग को अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे मतदाता सूची की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक घर का प्रत्यक्ष दौरा करते हैं। प्रत्येक निर्वाचक को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित बीएलओ, जो सामान्यतः उस इलाके का निवासी होता है, के संपर्क में रहें। निर्वाचक अपने बीएलओ के विवरण को मतदाता सेवा पोर्टल, मतदाता हेल्पलाइन ऐप और सक्षम–ईसीआई ऐप के माध्यम से जान सकते हैं।

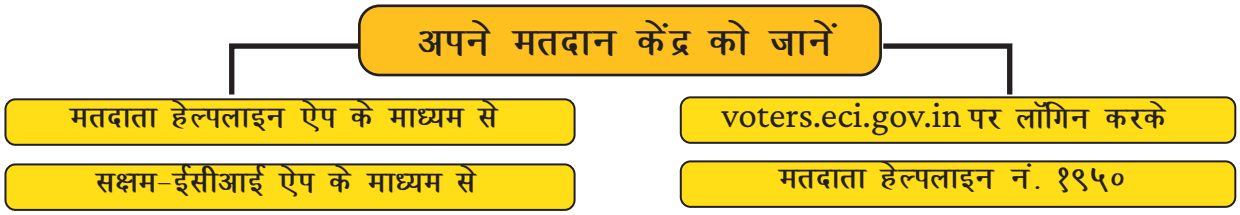

निर्वाचक नामावली में नाम खोजें

एपिक (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र) रखना मतदान करने की आपकी हकदारी सुनिश्चित नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति को अपना नाम निर्वाचक नामावली में होना अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए। निर्वाचक नामावली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इसे अब वर्ष में चार बार अपडेट किया जाता है। इसकी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों विधियों से जांच की जा सकती है।

- मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्रॉइड/आईओएस पर उपलब्ध)
- मतदाता पोर्टल पर जाएं https://voters.eci.gov.in/
- 1950 पर एसएमएस करें ECI<SPACE><EPIC No>
- सक्षम–ईसीआई ऐप (एंड्रॉइड)/सक्षम–ईसीआई ऐप (आईओएस)

वोट डालने से पहले अपने उम्मीदवारों के बारे में जानें:

मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से:

चरण 1 मतदाता हेल्पलाइन ऐप पर लॉगिन करें

चरण 2 अभ्यर्थी सूचना विकल्प चुनें

चरण 3 निर्वाचन चुनें (विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का साधारण निर्वाचन)

चरण 4 उम्मीदवार चुनें

चरण 5 उम्मीदवार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर क्लिक करें

केवाईसी ऐप के माध्यम से:

चरण 1 केवाईसी ऐप पर लॉगिन करें

चरण 2 निर्वाचन के प्रकार को चुनें (विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का साधारण निर्वाचन

चरण 3 उम्मीदवार चुनें

चरण 4 उम्मीदवार द्वारा दाखिल शपथपत्र पर क्लिक करें

चरण 5 उम्मीदवार द्वारा दाखिल शपथपत्र के बारे में और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि यदि कोई हो, के बारे में सूचना प्राप्त करें।

मतदान दिवस

व्यक्ति को मतदान दिवस के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, निर्वाचक नामावली में अपने नाम की जांच करें और अपने मतदान केंद्र की जांच करें।

मतदाता सूचना पर्ची:
मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र में निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या, मतदान की तिथि, समय आदि जानने में सुविधा प्रदान करने के लिए, जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से सभी नामांकित निर्वाचकों को मतदान की तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची जारी की जाती है। इसमें क्यूआर कोड के साथ मतदान केंद्र, तिथि, समय आदि सूचना शामिल होती है, लेकिन इसमें मतदाता का फोटोग्राफ नहीं होता। यह पहचान के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, सामान्य मतदाता सूचना पर्चियों के साथ–साथ ब्रेल विशिष्टताओं से युक्त मतदाता सूचना पर्चियां जारी की जाती हैं।

मतदान केंद्र पहुंचने का रास्ता जानें

मतदान केंद्र का आदर्श नक्शा
एकल निर्वाचन (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)

मतदान अधिकारी १
निर्वाचकों की पहचान करेंगे और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के प्रभारी होंगे

मतदान अधिकारी २
अमिट स्याही एवं मतदाता के हस्ताक्षर

मतदान अधिकारी ३
कंट्रोल यूनिट प्रभारी

मतदान केंद्र का आदर्श नक्शा
समकालिक निर्वाचन (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)

मतदान अधिकारी १
निर्वाचकों की पहचान करेंगे और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के प्रभारी होंगे

मतदान अधिकारी २
अमिट स्याही एवं मतदाता के हस्ताक्षर

मतदान अधिकारी ३
मतदाता पर्ची

मतदान अधिकारी ४
लोक सभा के लिए कंट्रोल यूनिट प्रभारी

मतदान अधिकारी ५
लोक सभा के लिए विधान सभा निर्वाचनों के लिए कंट्रोल यूनिट प्रभारी

मतदान केंद्र पर प्रमुख संकेतक और उनके अर्थ:

मतदान केंद्र पर पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकृत दस्तावेज

- मतदाता पहचान पत्र (एपिक)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
- पासपोर्ट
- बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सेवा पहचान कार्ड
- एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- पेंशन दस्तावेज
- एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड

मतदान प्रक्रिया

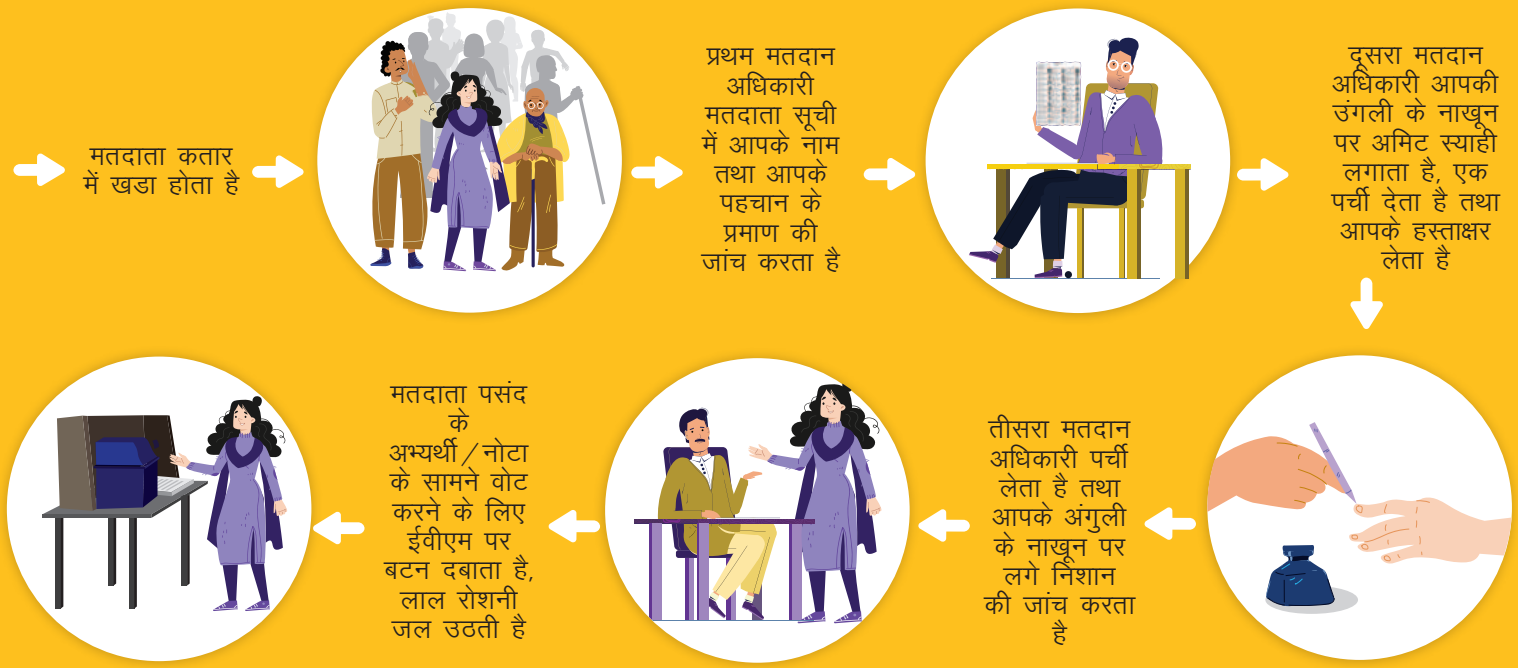

महत्वपूर्ण नोट करें!

यदि आपको वीवीपैट में पेपर पर्ची न दिखे या तेज बीप की आवाज न सुनाई दे तो पीठासीन अधिकारी से संपर्क करें

पर्ची शीशे से लगभग 7 सेकेंड के लिए दिखेगी मुद्रित पर्ची वीवीपैट में सुरक्षित हो जाएगी

ईवीएम मशीनों पर अंतिम विकल्प के रूप में इनमें से कोई नहीं (नोटा) उपलब्ध है।

दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त सुविधाएं:

- निर्वाचकों की सुविधा के लिए भू–तल पर मतदान केंद्र
- मतदान केंद्र पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधाओं के तहत दिव्यांग–अनुकूल सुविधाएं (जैसेः ढाल और पर्याप्त हैंडरेल के साथ रैम्प)
- मतदान केंद्र पर एक पृथक कतार/प्रवेश में प्राथमिकता
- ईवीएम मशीनों पर ब्रेल
- कमजोर दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए आवर्धक लेंस/शीट
- मतदान केंद्र पर दिव्यांगता विशिष्ट मतदान स्वयंसेवक
- प्रवेश से लेकर वोटिंग कम्पार्टमेंट तक संकेतक, बाधारहित चौडा समतल मार्ग
- ब्रेल (लिपि) में मतदाता सूचना पर्चियां (वीआईएस)/एपिक
- ब्रेल (लिपि) में डमी मतपत्र
- मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर की व्यवस्था
- मतदान दिवस पर उचित यातायात सुविधा
- फॉर्म–12घ के माध्यम से पोस्टल बैलेट सुविधा के विकल्प का लाभ उठाकर बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर मतदान की सुविधा

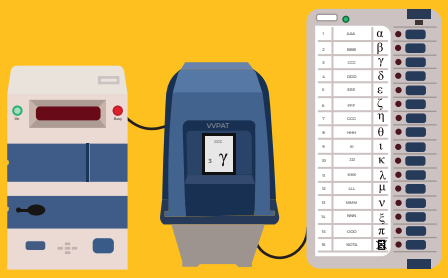

ईवीएम के माध्यम से अपना वोट डालना

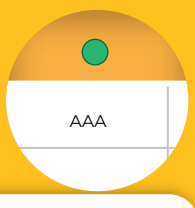

मतदान के लिए तैयार

जैसे ही आप वोटिंग कम्पार्टमेंट में प्रवेश करेंगे, तृतीय मतदान अधिकारी बैलट यूनिट (बीयू) को चालू करेगा। बैलेट यूनिट की 'रेडी' लाइट जल उठेगी

1

अपना वोट डालें

अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम/प्रतीक/नोटा विकल्प के सामने बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबाएं लाइट देखें

2

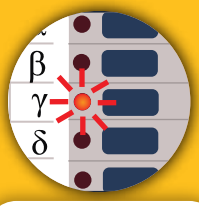

लाइट देखें

चुने गए अभ्यर्थी के नाम/प्रतीक नोटा विकल्प/के सामने लाल लाइट जल उठेगी

3

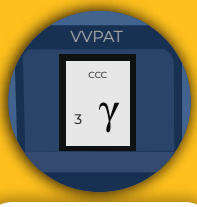

अपने वोट का सत्यापन करें

वीवीपैट मशीन चुने गए अभ्यर्थी की क्रम संख्या, नाम एवं प्रतीक/नोटा के उल्लेख वाली मतदान पर्ची मुद्रित एवं प्रदर्शित करेगी

4

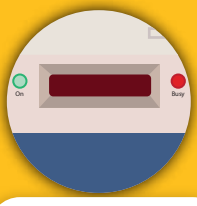

'बीप' की आवाज सुनें

कंट्रोल यूनिट से आई बीप की ध्वनि से इस बात की पुष्टि होगी कि वोट सफलतापूर्वक डाल दिया गया है

5

दिव्यांगजनों (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले) और वरिष्ठ नागरिक (८५ वर्ष से अधिक) के लिए घर पर मतदान सुविधा

भारत निर्वाचन आयोग सभी मतदाताओं को बाहर निकल कर अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए प्रोत्सानहित करता है। हालांकि, मतदाताओं के बीच, ऐसे मतदाता जो शारीरिक दिव्यांगता या अधिक उम्र के कारण मतदान केंद्र पर मत डालने में असमर्थ हैं, के लिए हाल के वर्षों में अनुपस्थित मतदाता (एवी) की संकल्पना लागू की गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए निर्वाचक को बेंचमार्क दिव्यांगता–युक्त व्यगक्ति या 85 वर्ष से अधिक का वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए। मतदान डाक मतपत्र द्वारा तथा सामान्य् मतदान तिथि से पहले किया जाएगा। बैलेट की पूर्ण गोपनीयता को बनाए रखा जाएगा क्योंतकि रिटर्निंग अधिकारी को मतपत्र सुपुर्द किए जाने के लिए उसे दोहरे लिफाफों में सीलबंद किया जाएगा।

दिव्यांग/वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मत दर्ज करने के लिए पात्रता शर्तें

दिव्यांगजन (एवीपीडी): कोई निर्वाचक जो निर्वाचक नामावली डेटाबेस में चिह्नित है और जिसके पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के तहत संबंधित प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा यथा–प्रमाणित बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाणपत्र (विनिर्दिष्टक दिव्यांगता 40% से कम नहीं) है। फार्म 12घ में आवेदन प्रस्तुधत करते समय इस श्रेणी के निर्वाचक को इसके साथ बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्नम करनी है।

वरिष्ठ नागरिक (एवीएससी): 85 वर्ष से अधिक की आयु के कोई भी निर्वाचक। आयु का उल्लेख निर्वाचक नामावली डेटाबेस में किया जाता है और निर्वाचक के लिए फार्म 12घ के साथ कोई अतिरिक्त। प्रमाणपत्र या शपथपत्र देना अपेक्षित नहीं होता है।

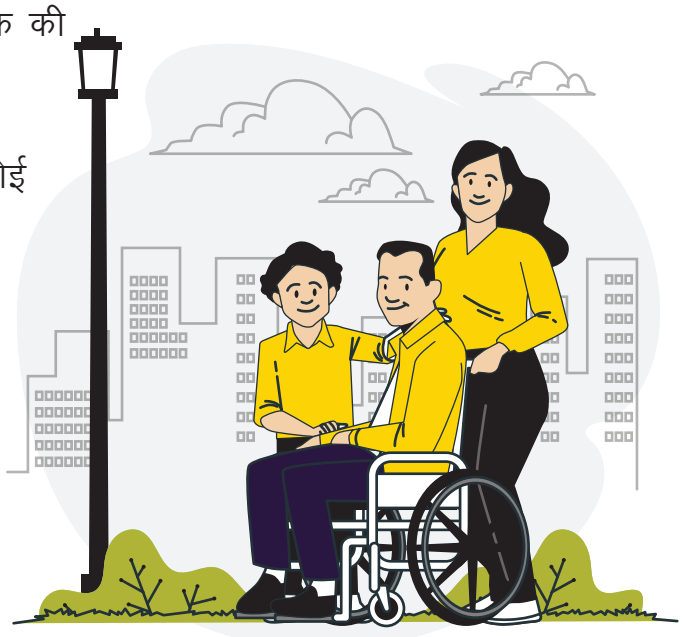

डाक मतपत्र द्वारा अनुपस्थित मतदाताओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

चरण–1 बीएलओ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार अनुपस्थित मतदाताओं (85 वर्ष से अधिक आयु और बैंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन) के घरों का दौरा करेंगे और संबंधित निर्वाचक को फार्म 12घ देंगे और उनसे पावती प्राप्त करेंगे।

चरण–2 बीएलओ अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर उस निर्वाचक जिसने इस विकल्प का चयन किया है, के घर से भरा हुआ फार्म 12घ एकत्र करेंगे और रिटर्निंग अधिकारी के पास तत्काल जमा कराएंगे।

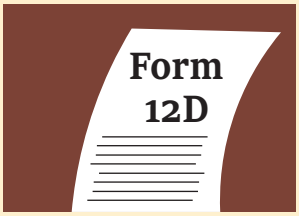

चरण–3 ऐसे सभी निर्वाचकों को डाक मतपत्र जारी किया जाएगा जिनके फार्म 12घ में ब्यौरे सही पाए गए हैं। मतदान अधिका. रियों का एक दल माइक्रो प्रेक्षक के साथ निर्वाचकों द्वारा उनके फार्म 12घ आवेदन में दिए गए पते पर दौरा करेंगे।

चरण–4 निर्वाचक की पहचान सत्यापित की जाएगी। निर्वाचक को डाक मतपत्र दिया जाएगा। निर्वाचक अपना मत चिह्नित करेंगे और मतपत्र छोटे लिफाफे में रखेंगे।

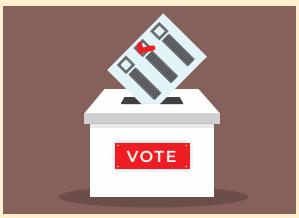

चरण–5 चिह्नित मतपत्र वाला बंद लिफाफा (फार्म 13घ) के साथ प्राधिकृत मतदान अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित फार्म 13क में विधिवत रूप से भरी हुई और हस्ताक्षरित घोषणा बड़े लिफाफे (फार्म 13ग) में रखी जाएगी।

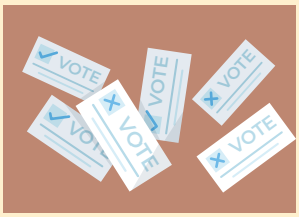

चरण–6 बड़े लिफाफे को बंद किया जाएगा और उसे मतदान अधिकारी को सौंप दिया जाएगा।

आयोग के सुविधा प्रदाता ऐप

मोबाइल एप्लीकेशन (ऐप्स) डिजिटल युग में एक ताकत हैं। भारत निर्वाचन आयोग के पास कई भरोसेमंद मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिन्हें निर्वाचक उपयोगी और प्रयोग में सुविधाजनक पाएंगे। ये एंड्रॉएड और आईओएस दोनों संस्करणों में उपलब्ध हैं, और ये निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं। यहां कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनका दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक लाभ उठा सकते हैं।

सक्षम ईसीआई ऐप

सक्षम ईसीआई ऐप दिव्यांगजनों को डिजिटल रूप से समर्थ बनाने वाला ऐप है।

प्रमुख विशेषताएं

- निर्वाचक के रूप में पंजीकृत करना
- दिव्यांगता की स्थिति चिह्नित करना
- सुधार के लिए अनुरोध/प्रव्रजन के लिए अनुरोध
- मतदान केंद्र का लोकेशन/मतदान अधिकारियों के संपर्क विवरण जानना
- पिक एंड ड्राप/व्हीलचेयर/मतदान केंद्रों पर सहायता का अनुरोध
- निर्वाचन प्रक्रियाओं में भागीदारी करते समय पेश आ रही किन्हीं समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करना
- दृष्टिबाधा से ग्रस्त दिव्यांगजनों के लिए वॉयस असिस्टेंट
- श्रवणबाधा से ग्रस्त दिव्यांगजनों के लिए टेक्स्ट टु स्पीच सुविधा
- बड़ा फोंट साइज और हाई कॉन्ट्रास्ट कलर

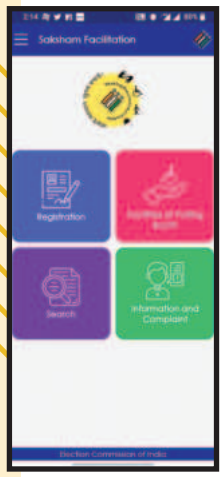

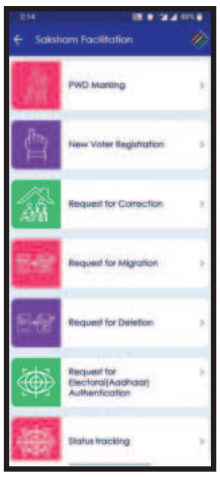

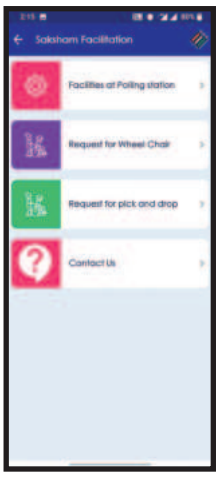

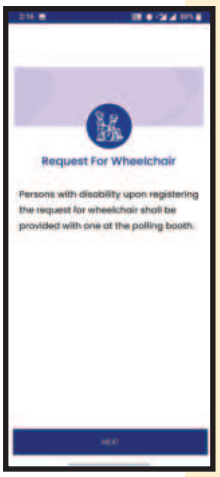

मतदाता हेल्पलाइन ऐप

मतदाता हेल्पलाइन ऐप नामांकन से लेकर निर्वाचन परिणामों तक सभी निर्वाचन जरूरतों के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

प्रमुख विशेषताएं

- निर्वाचक नामावली में अपने नाम खोजना/रजिस्टर करना
- जनांकिकीय विवरणों को संशोधित करने का अनुरोध
- सभी प्रकार के वीएसपी फार्म को भरना और अपडेट करना
- एपिक के साथ आधार का संयोजन
- अपनी डिजिटल वोटर स्लिप डाउनलोड करना
- शिकायत दर्ज करना
- निर्वाचन कार्यक्रम/मैप/घोषणाएं प्राप्त करना
- अपना मतदान केंद्र खोजना
- डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची प्राप्त करना
- मतदान केंद्रों पर कतार की जानकारी प्राप्त करना
- अभ्यर्थी की प्रोफाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करना
- ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग के बारे में जानना
- पिछले निर्वाचनों के सांख्यिकीय आंकड़े प्राप्त करना
- मतदाता जागरूकता और प्रशिक्षण वीडियो देखना
- निर्वाचन परिणाम प्राप्त करना

सीविजिल ऐप

सी–विजिल ऐप प्रत्येक नागरिक को निर्वाचनों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रामाणिक मामलों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। यह एप्लीवकेशन ऑटो लोकेशन विशिष्टताओं के साथ समय–अंकन, लाइव फोटो की सुविधा प्रदान करता है जो निर्वाचन मशीनरी को उल्लंघन के स्थान की पहचान करने तथा उन दस्तों को भेजकर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करने में समर्थ बनाता है। जीआईएस आधारित डैशबोर्ड तुच्छ और असंबद्ध मामलों पर कार्रवाई करने से पहले उन्हें बंद एवं निस्तारित करने का निर्णय लेने का कारगर साधन उपलब्ध करवाता है। सीविजिल ऐप द्वारा दर्ज शिकायतें प्रेक्षक ऐप पर निर्वाचन प्रेक्षकों द्वारा देखी जा सकती हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- इस एप्लीकेशन से लोकेशन स्वत: दर्ज हो जाती है
- समय-अंकन
- अनाम और नाम वाले लॉगिन की अनुमति है
- वास्तविक फोटो/वीडियो कैप्चर करने और मोबाइल एप्लीकेशन से सबमिट करने के लिए ५ मिनट
- मोबाइल एप्लीकेशन से बाहर फोटो क्लिक नहीं की जा सकती
- केवल लाइव विडियो और फोटो कैप्चर करने की अनुमति

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV

LOK SABHA ELECTION 2024

eci.gov.in

FB.com/ECI

@ecisveep

youtube.com/eci

@ecisveep